राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस नोट

10.07.2014

राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2013 (प्रारंभिक) जो दिनांक 26.10.2013 को आयोजित की गई तथा दौसा जिले के एक केन्द्र की निरस्त परीक्षा जो कि 19.11.2013 को पुनः आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम दिनांक 11.06.2014 को जारी किया गया।

चुंकि नए पैटर्न से यह प्रारंभिक परीक्षा प्रथम बार ही आयोजित की गई थी इसलिए आयोग ने इस परिणाम का अवलोकन कर गहन विश्लेषण कर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु आयोग के सचिव नरेश कुमार ठकराल को निर्देशित किया। जिसकी पालना में सचिव द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 16.06.2014 को यह निर्णय लिया गया कि आयोग स्तर पर एक आंतरिक जाँच कमेटी बनाई जाए जो इस प्रारंभिक परीक्षा की तथ्यपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस पर आयोग के माननीय सदस्य डॉ. आर.डी. सैनी, माननीय सदस्य डॉ. के. आर. बागड़िया व आयोग के सचिव नरेश कुमार ठकराल की तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित कर जाँच सौंपी गई।

जाँच समिति ने प्रारंभिक परीक्षा के उपलब्ध आँकड़ों का विश्लेषण कर अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक 20.06.2014 को प्रस्तुत की। जाँच में कुछ चौंकाने वाले एवं संदेहास्पद तथ्य सामने आए जिस पर पुनः सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 23.06.2014 को आयोजित की गई। इस बैठक में जाँच समिति की रिपोर्ट पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया एवं जाँच में सामने आये तथ्यों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण में तुरन्त आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जाए। इस निर्णय की पालना में सभी तथ्यों पर रिपोर्ट संकलित कर, इसकी जाँच एस. ओ. जी. के माध्यम से करवाए जाने के अनुरोध पत्र सहित आयोग का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय अध्यक्ष डॉ. हबीब खाँ गौराण के नेतृत्व में, (जिसमें तत्कालीन माननीय सदस्य डॉ. पी. के. दशोरा, माननीय सदस्य श्री सुरजीत लाल मीणा, सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल व उप सचिव (प्रशासन) श्री भगवत सिंह राठौड़ शामिल थे,) पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार से दिनांक 24.06.2014 को मिला एवं इस गंभीर प्रकरण की जाँच एस.ओ.जी. से करवाने हेतु निवेदन किया। जिस पर पुलिस महानिदेशक ने तत्काल एस.ओ.जी. को उक्त जाँच करने हेतु निर्देशित किया।

उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा 21.02.2014 से 25.02.2014 तक आयोजित वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड–द्वितीय परीक्षा–2013 के प्रश्न पत्रों में सामूहिक नकल अथवा प्रश्न पत्र लीक करने जैसी कार्यवाही का अंदेशा आयोग को होने पर, आयोग द्वारा दिनांक 17.02.2014 को

एक पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिव–गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को भेजा था, जिसकी प्रतिलिपि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस–इंटेलीजेंस, जयपुर को भी भेजी गई थी। इस पत्र पर करौली पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ कर उसमें अमृतलाल मीणा व कृपाल मीणा लिप्त पाए गए थे।

दिनांक 24.06.2014 को आयोग द्वारा प्रदत्त रिपोर्ट पर एस. ओ. जी. द्वारा आवश्यक कार्यवाही त्वरित गति से प्रारंभ की गई एवं इस गिरोह की संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रख कल दिनांक 09.07.2014 को इसका भंडाफोड़ कर एस.ओ.जी. द्वारा प्रकरण संख्या–08/14 धारा 420, 120–बी भा.द.स. एवं 3, 4, 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम 1992 दर्ज कर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

चूंकि आयोग द्वारा पूर्व में की गई आंतरिक जाँच में आये तथ्यों के आधार पर एस. ओ. जी. द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इससे प्रतीत होता है कि कोई संगठित गिरोह सक्रिय था जिसने इस परीक्षा को प्रभावित किया है।

इस संबंध में दिनांक 10.07.2014 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के सम्पूर्ण आयोग की आयोजित बैठक में आयोग के अध्यक्ष डॉ. हबीब खाँ गौराण, माननीय सदस्य डॉ. आर. डी. सैनी, माननीय सदस्य श्री सुरजीत लाल मीणा, माननीय सदस्य डॉ. के. आर. बागड़िया तथा आयोग सचिव श्री नरेश कुमार ठकराल ने भाग लिया। सम्पूर्ण आयोग की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि एस. ओ. जी. द्वारा की गई कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा आयोजित की गई आर. ए. एस. (प्रारंभिक) परीक्षा–2013 को निरस्त करते हुए, दो माह के भीतर उक्त परीक्षा पुनः आयोजित करवाई जाए ताकि परीक्षा की अस्मिता, पवित्रता एवं अभ्यर्थियों के व्यापक हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव